राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC / 08 / 01 / 218 / 2020 - KSP

बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिनांक 11.08.2020 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री ए.के. दास, एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया
3. श्री सी. जी. चैतन्य, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
4. श्री बी.के. पति, उपसचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
5. श्री अशोक पाठक, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), बैंक ऑफ इंडिया

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - सर नमस्कार मेरा नाम ए.के. दास है। मैं बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एवं सीईओ हूं। मेरे साथ हमारे कार्यकारी निदेशक श्री चैतन्य जी हैं और मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक श्री अशोक पाठक जी हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - जी नमस्कार, कार्यवाही शुरु की जाये।

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - बैंक ऑफ इंडिया में ओबीसी का रिजर्वेशन कब से शुरू हुआ था?

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - सर वर्ष 1993 से शुरु हुआ है जब वह रेगूलेशन लागू हुआ था तब से।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - 27 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी बैंक ऑफ इंडिया में ओबीसी का रिजर्वेशन 27 % क्यों कंपलीट नहीं हुआ है इसका कारण स्पष्ट करें।

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - सर, बात बिल्कुल सही है लेकिन हम बहुत नजदीक हैं। हमारे यहां यह 25.97 %।

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA भर्ती एवं अजा/जजा कक्ष Rectt. & SC/ST Cell प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - नहीं 25.97 % कहां 24 % है।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - सर , 31 जुलाई का 25.97 % है और हमें विश्वास है कि हम लोग इस साल और 5000 रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो मार्च 31 तक 27% से ऊपर चले जायेंगे। अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे तो उसमें उन्नति हुई है, प्रगति हुई है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - उन्नति बहुत धीरे-धीरे हो रही है।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - सर 2017 में ये 21.30 % था, अभी जुलाई में 25.97 % है। ऐसी स्थिति में सर, हम यह समझते हैं कि हम मार्च 2020-21 तक, 27 % से काफी ऊपर चले जायेंगे, ये आश्वासन देते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - बहुत अच्छा है। इसमें तो ओबीसी के वे लोग भी शामिल होंगे जो जनरल वर्ग में ऑन-मेरिट पर जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो भी इसमें हैं?

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - उनको भी इसी में इनक्लूड किया है?

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये जो ग्रुप-ए वैकेंसी कैरी फारवर्ड है ये हर साल क्यों बढ़ता जा रहा है?

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - सर इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो पिछले 2-3 साल में जो आवेदन पत्र देते हैं उनकी संख्या में कमी आई है और दूसरी बात है कि हम अपाइंटमेंट लेटर जिनको भेजते हैं, औसतन 20 से 25% उससे कम ज्वाइन करते हैं । जब आईबीपीएस ये इंटरव्यू

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA भर्ती एवं अजा/अजजा कक्ष Rectt. & SC/ST Cell प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

करती है तो कैंडीडेट बैंको का प्रीफ्रेंस देते हैं तो हर बैंक में लगभग यही होता है कि 20 से 25 % ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। ये दो मुख्य कारण हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - प्रश्न संख्या 10 ए में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रोस्टर मांगा गया था तो रोस्टर न देने का क्या कारण है ?

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - सर दिसम्बर 2018 तक शायद हमारा रोस्टर है, मार्च में ये होना था। अभी सर 31.12.2019 तक अंडर प्रोग्रेस है। ये एक महीने के अंदर हो जायेगा, उसके बाद का कोविड के कारण नहीं हो पाया।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - जो भी रोस्टर उपलब्ध है वो तो देना चाहिये था।

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - जी सर, हम इस महीने के अंत तक दे देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - अभी जितना भी रोस्टर उपलब्ध है वो तो आयोग को उपलब्ध कराएं।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - मैं आपको 3 डेट नोट करा रहा हूँ 08.09.1993, 02.07.1997, 03.12.1997 कटऑफ डेट का रोस्टर आयोग को उपलब्ध करायें।

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - हमें अभी 2019-20 का चाहिये लेकिन आपके पास जो भी लेटेस्ट रोस्टर तैयार हो उसको आयोग को उपलब्ध कराएं।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - अवश्य सर ।

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA भर्ती एवं अजा/जजा कक्ष Rectt. & SC/ST Cell प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - आपके यहां चीफ जनरल मैनेजर की टोटल पोस्ट कितनी हैं ?

<u>एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया -</u> सर, सीजीएम अभी तक हमारे बैंक में नहीं है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का निर्देश हैं उनके अनुसार जिन बैंको का कारोबार मूल्य 10 लाख करोड़ से ऊपर है उनमें सीजीएम रह सकते हैं। हमारा जून महीने में 10 लाख क्रॉस हुआ है तो उसके लिए प्रोग्रेस अभी जारी है। अब हम सीजीएम पोस्ट क्रिएट करेंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -</u> जीएम कितने हैं।

<u>एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया</u> - 45 सर ।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - 45 में से ओबीसी के कितने हैं ?

<u>एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया</u> - सर 5 मिनट में उपलब्ध करायेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ठीक है, डीजीएम कितने हैं ?

<u>एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया</u> - 123 हैं सर। इसमें पोस्ट - वाइज के कैडर के हिसाब से ब्रेकअप दे देंगे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - एजीएम कितने हैं ?

<u>एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया</u> - 376 हैं सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग</u> - डीजीएम और एजीएम का भी पता नहीं होगा कि ओबीसी कितने हैं ?

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA भर्ती एवं अजा/अजजा कक्ष Rectt. & SC/ST Cell प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - वो डाटा है सर अभी मंगवा देते हैं, इसी मिटिंग के दौरान दे देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - प्रश्न संख्या 18 बी पर आपका बहुत आश्चर्यजनक जवाब प्राप्त हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में ओबीसी के किसी भी कर्मचारी का कोई ग्रिवांस नहीं आया।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - सर, it's a statement of fact. या तो बहुत सारे ऐसे ग्रिवांस को हम ऑन द स्पॉट, जब ये प्रथमत: ध्यान में आते हैं तब ही हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे इसका समाधान कर लें। ग्रिवांस न आकर ज्यादातर हम उन्हें ऑन द स्पॉट दूर करने में सफल हुए हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - बहुत अच्छा है। इस जवाब को आप लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शपथ पत्र पर दीजिए कि पिछले 4 वर्षों में ओबीसी के किसी भी कर्मचारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 5 वर्षों का ओबीसी का सत्यापित शिकायत का रजिस्टर आयोग को उपलब्ध करायें।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - आपके यहां चीफ लाईसन ऑफिसर हैं - श्री सुरेश कुमार वर्मा।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - आप लोगों ने तो एक नई कैटेगरी जेनरेट कर दी। सरकार ने तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ये चार कैटेगरी जेनरेट की थी, आप लोगों 5 वां कैटेगरी जेनरेट कर दिया। नई कैटेगरी others लिखी है। others कैटेगरी का क्या मतलब है?

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - सर, 1985 बैच के ओबीसी हैं तो others, तभी का वही रिकॉर्ड ले लिया गया है, इस त्रुटि का समाधान करेंगे।

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA भर्ती एवं अजा/अजजा कक्ष Rectt. & SC/ST Cell प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये ओबीसी कैटेगरी के हैं ?

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ओबीसी का अलग से सेल नहीं बना है क्या ?

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - हम लोगों ने इसे एससी , एसटी के साथ ही रखा है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - क्यों आप एससी , एसटी के साथ रखे हैं , ओबीसी का सेल तो अलग होना चाहिये। ये सरकार की बहुत पुरानी गाइडलाइन है ।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर इसको तुरंत कार्यन्वित करेंगे ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - इसका अलग से सेल बनना चाहिये ।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - प्रश्न सं 17 में पिछले 4 वर्षों में सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड, सलेक्शन कमेटी, डीपीसी में सम्मलित ओबीसी सदस्यों की जानकारी मांगी गई थी, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

एमडी एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया - सर पेज न. 12 में इसका विवरण दिया गया है जहां पर लेवल-वाईज पोस्ट के हिसाब से 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 इसे एक टेबुलर फोर्म में दिया गया

33

है। सिलेक्शन कमेटी का, डीपीसी का नहीं दिया गया पर सिलेक्शन कमेटी का 4 वर्षों का दिया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - हमें डीपीसी का दीजिये पिछले 4 वर्षों का।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक लेवल की डीपीसी में सम्मलित ओबीसी के सदस्यों का नाम और कैटेगरी शपथ पत्र पर बताया जाये और इनका ओबीसी सर्टिफिकेट भी आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - ये सीएसआर फंड में ओबीसी के ऊपर आप लोगों का फोकस एकदम जीरो क्यों है 27 ए में ?

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर एक साल में थोड़ी कम हो गई थी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - नहीं 2016 , 2017 , 2018 तीनों ऑनवर्ड है।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - सर 2017-18 में केवल कम हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - नहीं, 1.56 % है।

एमडी एवं सीईओ , बैंक ऑफ इंडिया - जी सर ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल , माननीय सदस्य , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - सीएसआर का टोटल एक्सपेंडिचर ओबीसी पर 1.56 % है, फिर 1.26 % है, फिर 5.50 % है।

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA अजा/जजा कक्ष Rectt. & SC/ST Cell प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
NCBC/08/01/218/2020-KSP

बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारीगण के साथ दिनांक 02.12.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
3. श्री पी. आर. राजागोपाल, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया।
4. श्री अशोक पाठक, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), बैंक ऑफ इंडिया।
5. श्री अरुण कुमार जैन, महाप्रबंधक, दिल्ली सर्कल, बैंक ऑफ इंडिया।
6. श्री गयालाल माझी, सी.एम, बैंक ऑफ इंडिया।
7. श्री हरीश सी. खुराना, सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया।
8. श्री रवींद्र सारंग, वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया।

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा बताया गया कि आपने बिन्दु संख्या 2 पर जबाव दिया गया कि दिनांक 08.09.1993, 02.07.1997, तथा 31.12.1997 का अधिकारियों के रोस्टर-रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध है। इस संबंध में महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवगत कराया गया कि हम आयोग में रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध करवा देंगे।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि बैंक ऑफ इंडिया मे 3 सब्सिडियरीज कम्पनिया है। जिसमें 51% से ज्यादा शेयर है, तो क्या उसमें आरक्षण नियम लागू है। इस संबंध में महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया कि एक सब्सिडियरी मे हमारे यहाँ से डेप्यूटेशन पर जाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के Merchant बैंकिंग में दूसरी सब्सिडियरी बी.वाई शेयर होल्डिंग लिमिटेड है जिसमे हमारी 100% शेयर होल्डिंग है, जिसकी आखिरी भर्ती में आरक्षण लागू हुआ था और तीसरी शेयर होल्डिंग Minority शेयर होल्डिंग है।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि बैंक ऑफ इंडिया ने 1059 ओबीसी सबस्टाफ की जानकारी आयोग को प्रेषित की गयी हैं। उन सभी सबस्टाफ के ओबीसी सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि आयोग में उपलब्ध कराए।
4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर-रजिस्टर मे ओबीसी के कौन- कौन से बिन्दु निर्धारित है। इस संबध मे वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 4 ओबीसी का होता है।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या आईबीपीएस सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है या स्वायत संस्था (Autonomous Body) है। इस संबध में कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अवगत कराया गया कि आईबीपीएस एक प्राइवेट संस्था है।

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि पिछले 5 वर्षों का स्टेट-वाइज विज्ञापन तथा साक्षात्कार की प्रतिलिपि, ओबीसी सर्टिफिकेट एवं यूआर मैरिट लिस्ट से संबंधित समस्त जानकारी आयोग के समक्ष उपलब्ध करायी जायें।
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट-वाइज आरक्षण दिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश मे 32% आरक्षण क्यूँ नहीं दिया जाता है। इस संबध मे बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नही दिया गया।
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तथा तमिलनाडु राज्य का रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त सभी जानकारी 7 कार्यदिवस के अंदर आयोग को उपलब्ध कराएं।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री रवींद्र सारंग)
वरिष्ठ प्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया

(श्री गयालाल मांझी)
सी.एम,
बैंक ऑफ इंडिया

(श्री हरीश सी. खुराना)
सहायक महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया

(श्री अरुण कुमार जैन)
महाप्रबंधक, दिल्ली सर्कल,
बैंक ऑफ इंडिया

(श्री अशोक पाठक)
महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
बैंक ऑफ इंडिया

(श्री पी. आर. राजागोपाल)
कार्यकारी निदेशक,
बैंक ऑफ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग